विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं:

अध्याय–1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यकलाप पर सामान्य सूचना,

अध्याय–2: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा, तथा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

अध्याय–3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर छः संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तर।

लेखपरीक्षा के परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,176.51 करोड़ है।

अध्याय–1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप पर सामान्य सूचना

31 मार्च 2017 को, उत्तर प्रदेश में 103 पीएसयू थे, जिनमें से केवल 51 सरकारी कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम कार्यरत थे। शेष सभी 46 अकार्यरत पीएसयू सरकारी कम्पनियां थीं।

103 पीएसयू में से, केवल 40 पीएसयू ने अपने पिछले तीन वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था, और 95 पीएसयू के लेखे 1981–82 से लम्बित थे। लेखाओं में विलम्ब/लेखाओं का नहीं बनाया जाना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतिकरण, धोखाधड़ी एवं दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

इन 40 पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 22 पीएसयू[1] ₹ 963.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 17 पीएसयू[2] ने ₹ 19,299.56 करोड़ की हानि उठाई तथा शेष एक पीएसयू[3] ने कोई लाभ या हानि न होने की सूचना दी। शेष 63 पीएसयू (103–40), जिनके द्वारा लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया है, द्वारा की गई हानि, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयू ने 31 दिसम्बर 2017 तक ₹ 88,036.52 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।

22 पीएसयू (जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया था) के द्वारा राज्य सरकार के निवेश पर औसत 19 प्रतिशत का नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल अर्जित किया गया। यह वर्ष 2014–15 से 2016–17 कि अवधि में ऋण की औसत लागत दर 6.52 प्रतिशत से काफी नीचे रहा। इस प्रकार, 22 पीएसयू में निवेश के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कोष को, उनके पिछले तीन वर्षों में (31 दिसम्बर 2017 तक) अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 11,920.32 करोड़ की कुल हानि हुई।

(प्रस्तर 1.1, 1.9 एवं 1.10)

---

[1] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 1, अ 3, अ 5, अ 12, अ 14, अ 15, अ 18, अ 19, अ 20, अ 22, अ 32, अ 34, अ 37, अ 39, अ 43, ब 1, ब 2, ब 4, ब 6, स 15, स 18 तथा स 20

[2] **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 7, अ 16, अ 17, अ 25, अ 27 से अ 31, अ 35, अ 36, अ 42, अ 45, स 27, स 31, स 32 तथा स 33

[3] जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एकमात्र पावर प्लान्ट निर्माण अवस्था में है। अतः वहां कोई लाभ अथवा हानि नहीं थी।

राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2017 को, 103 पीएसयू में ₹ 2,39,019.94 करोड़ का निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। पीएसयू में निवेश का जोर पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में था (₹ 1,36,393.21 करोड़)।

(प्रस्तर 1.5 एवं 1.6)

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक अन्तिमीकृत किए जाने का प्रावधान करता है। ऐसा करने में विफलता, दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जो कि यह बताते हैं कि सम्बन्धित दोषी कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी को कारावास, जो कि एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड जो कि पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु, जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो का दण्ड दिया जायेगा।

57 कार्यरत पीएसयू में से, केवल सात पीएसयू ने वर्ष 2016–17 के अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया था, जबकि शेष 50 पीएसयू के 31 दिसम्बर 2017 तक 192 लेखे, एक से 14 वर्षों की अवधि से लम्बित थे। 46 अकार्यरत पीएसयू में से, 12 पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे एवं शेष 33 पीएसयू (एक पीएसयू ने वर्ष 2016–17 के अपने लेखे प्रस्तुत किये) के 509 लेखे एक से 35 वर्षों से लम्बित थे। राज्य सरकार ने 22 कार्यरत पीएसयू को, जिनके लेखे लम्बित थे, पिछले तीन वर्षों की अवधि में ₹ 56,273.05 करोड़ का बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान तथा सब्सिडी, इत्यादि) प्रदान की। इसमें से, ₹ 20,908.98 करोड़ की बजटीय सहायता, 14 पीएसयू को वर्ष 2016–17 के दौरान दी गयी। राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा दी गयी चुकता अंश पूंजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का प्रतिफल देना आवश्यक है। तद्नुसार, 18 पीएसयू को लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित करने की आवश्यकता थी। तथापि, केवल आठ पीएसयू ने ₹ 6.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 10 लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने न्यूनतम लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति के अनुपालन में ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

(प्रस्तर 1.9, 1.10, 1.11 एवं 1.15)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

छः निगमों के पाँच से नौ वर्षों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं किए गये। यह सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को क्षीण करता है तथा इनकी वित्तीय जवाबदेही को भी घटाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) में वित्तीय जवाबदेही की कमियां इतनी गम्भीर हैं कि यूपीजेएन के वर्ष 2011–12 के लेखे जो कि 2017–18 में अन्तिमीकृत हुए, पर सीएजी ने अभिमत देने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने यूपीजेएन को 2012–17 के मध्य, जब इसके लेखे लम्बित थे, एवं यूपीजेएन की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं था, ₹ 171.35 करोड़ का ऋण दिया।

(प्रस्तर 1.12)

अकार्यरत पीएसयू का समापन

46 अकार्यरत पीएसयू में से, 12 पीएसयू ने विगत 14 से 36 वर्षों की अवधि में समापन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, जो आधिकारिक परिसमापक एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास लम्बित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 31 पीएसयू के समापन प्रारम्भ

करने हेतु आदेश जारी किये थे, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा अन्तिम कार्यवाही अभी भी लम्बित है।

(प्रस्तर 1.17)

लेखा टिप्पणियाँ

कम्पनियों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा छः लेखाओं पर अनक्वालिफाईड प्रमाण पत्र, 40 लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र, एक लेखे[4] पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया गया। सांविधिक अंकेक्षक द्वारा भी चिन्ताजनक कमियाँ होने के कारण उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के वर्ष 2008–09 के लेखे पर, अभिमत देने से मना कर दिया गया। निर्गत लेखांकन मानकों का, कम्पनियों द्वारा अनुपालन, असंतोषजनक रहा क्योंकि 33 कम्पनियों के 39 लेखाओं के 173 दृष्टान्तों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 1.18)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किये। तथापि, यह देखा गया कि 88 लेखापरीक्षा प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा में से, 55 लेखापरीक्षा प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा, जो की पिछले पाँच वर्षों में राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए गये थे, की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी भी (दिसम्बर 2017) प्रतीक्षित थीं।

(प्रस्तर 1.21)

पीएसयू का पुर्नगठन

25 अगस्त 2000 से, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पुर्नगठन के परिणामस्वरूप, उस समय विद्यमान 42 पीएसयू[5] की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभाजित किया जाना था। तथापि, मार्च 2018 तक यह क्रियान्वयन छः पीएसयू[6] के संबंध में पूरा नहीं किया गया है।

(प्रस्तर 1.24)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

चिन्हित किए गये वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों द्वारा उदय के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) एवं डिस्कॉम[7] की ओर से उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित

---

4 उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

5 **परिशिष्ट–1.1** की क्रम संख्या अ 1, अ 3 से अ 15, अ 22, अ 24, अ 26, अ 34, अ 35, अ 37, अ 39, अ 40 से अ 43, अ 50, अ 51, ब 2, ब 4, ब 6, स 2 से स 5, स 7, स 9, स 10, स 11, स 21, स 27, स 29 एवं स 30 ।

6 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड

7 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं कानपुर विद्युत कम्पनी लिमिटेड।

(जनवरी 2016) किया गया। जबकि वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं, तथापि पाँचों डिस्कॉमों द्वारा परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संतोषजनक नहीं थी।

(प्रस्तर 1.25)

संस्तुतियों का सारांशः

- चूँकि हानि वहन करने वाले एवं अकार्यरत पीएसयू के निरन्तर अस्तित्व में बने रहने से सार्वजनिक कोष से पर्याप्त मात्रा में निकास होता है, राज्य सरकार (**i**) सभी हानि वहन करने वाले पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा, (**ii**) अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा, उनके समापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने/शीघ्रता लाने हेतु, एवं (**iii**) इस बात का आकलन कि क्या अकार्यरत पीएसयू के कर्मचारियों को रिक्तियों वाले सरकारी विभागों में रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, कर सकती है।

- वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं पीएसयू, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–I) के साथ आंकड़ों में अन्तर का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं।

- उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को ऐसे सभी पीएसयू, जहां इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है, के समापन/विनिवेश हेतु समीक्षा करनी चाहिए।

- चूंकि 21 अकार्यरत पीएसयू, जिन्होंने ऋणों पर ब्याज तक का भी भुगतान नहीं किया है, द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान की संभावना बहुत कम है, यदि अस्तित्व में है तो जीओयूपी को पुराने ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने अथवा अपलिखित करने पर विचार करना चाहिये एवं जब तक कि यह समीक्षा नहीं हो जाती है कि इनमें से कम से कम कुछ पीएसयू बन्द नहीं करने चाहिए, भावी भुगतान, यदि कोई हो, अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिये।

- वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पीएसयू अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इन पीएसयू के निदेशक निरन्तर कम्पनी अधिनियम तथा राज्य सांविधिक निगमों को नियन्त्रित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के दोषी न बने रहें।

- वित्त विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बजटीय सहायता उन्हीं पीएसयू तक विस्तारित की जाए, जिनके लेखे अद्यतन हैं।

- वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सांविधिक निगमों के एसएआर विधानमण्डल में अति–शीघ्र रखे जाएं, एवं ऐसे निगमों को, जब तक की ऐसा हो न जाये, कोई और बजटीय सहायता विस्तारित न की जाए।

- राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को, लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) को अपनाने की तिथि से, लाभांश के बकाया (₹ 582.61 करोड़) को सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

- **वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन 35 पीएसयू (31 कम्पनियां एवं चार सांविधिक निगम) के कार्यकलापों की अतिशीघ्र समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों ने क्वालीफाईड टिप्पणियां, एडवर्स टिप्पणियां दी थीं तथा गम्भीर कमियों के कारण अभिमत देने से मना कर दिया था। वित्त विभाग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम जहाँ सीएजी ने निगम के लेखों पर अभिमत देने से मना कर दिया था तथा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षक ने कम्पनी के लेखों पर अभिमत देने से मना कर दिया था, के क्रियाकलाप की समीक्षा कर सकता है।**

- **सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग के निर्देशों (जून 1987) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर समय से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।**

- **चूँकि राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् लगभग दो दशक बीत चुके हैं, राज्य सरकार को उत्तराखण्ड सरकार के साथ मिलकर छः पीएसयू जिसमें 31 मार्च 2001 तक राज्य सरकार का ₹ 6,174.40 करोड़ का निवेश था, की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के त्वरित विभाजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।**

अध्याय–2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षायें

2.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्तर्गत सभी गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की उपलब्धता एवं निर्धनता रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का शुभारंभ (मार्च 2005) किया।

जीओआई ने आरजीजीवीवाइ का कार्यक्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत क्रमशः 300 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजरों तक आच्छादन बढ़ाने के लिए दो बार विस्तारित (फरवरी 2008/सितंबर 2013) किया। उत्तर प्रदेश में, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल 3,29,24,216 परिवारों के सापेक्ष 1,21,20,231 परिवारों (36.81 प्रतिशत) तक विद्युत की उपलब्धता थी। इसके सापेक्ष, विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 2,33,43,305 परिवारों तक (मार्च 2017) हो गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में, उत्तर प्रदेश राज्य में 2012–13 से 2016–17 की अवधि में 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरजीजीवीवाई (योजना) के निरूपण, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है।

योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

आरईसी ने 2012–17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.83 करोड़ की स्वीकृति दी थी। 75 जिलों में से 11 जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 53 जिलों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एवं 11 जिलों को दोनों योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था एवं आरईसी ने डिस्कॉमों की लापरवाही के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति (31 मार्च 2017 को) रोक दी है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भौतिक प्रगति क्रमशः 79.10 एवं 44.47 प्रतिशत प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

परियोजना नियोजन

• डीपीआर या तो संदिग्ध सर्वेक्षण अथवा पीएमसी के डेटा/सर्वेक्षण पर पूर्ण निर्भरता के कारण, बिना सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे। डिस्कॉम डीपीआर में शामिल गाँवों की विद्यमानता सुनिश्चित करने एवं पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर की शुद्धता सुनिश्चित करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.13)

• डिस्कॉमों ने परियोजना की कुल लागत को स्वीकृत राशि के भीतर सीमित करने के लिए स्वीकृत डीपीआर के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया। परिणामस्वरूप, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क संयोजन नहीं मिल सका।

(प्रस्तर 2.1.15)

• डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को शामिल करने एवं सामग्रियों की वापसी का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप डिस्कॉमों द्वारा योजना निधि से ₹ 12.98 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं ₹ 11.99 करोड़ की निधि का अधिक आहरण हुआ।

(प्रस्तर 2.1.14 और 2.1.17)

परियोजना प्रबंधन

• पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के एक से 20 माह विलम्ब के उपरान्त भी नमूने वाले 19 जिलों में भौतिक प्रगति 22.81 प्रतिशत एवं 89.09 प्रतिशत के मध्य थी। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण, कार्य प्रदान करने में विलम्ब, वास्तविक स्थल सर्वेक्षण में विलम्ब एवं सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब थे।

(प्रस्तर 2.1.22)

• अनुमानित एवं प्रचलित बाजार दरों के साथ उद्धृत दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित किए बिना डिस्कॉमों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, टर्नकी ठेकेदारों को अत्यधिक ऊँची दरों पर कार्य प्रदान किया जिससे ₹ 537.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.1.23)

• डिस्कॉम, सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय के भीतर करने में विफल रहने वाली ठेका फर्मों के बिलों से ₹ 43.87 करोड़ की एलडी कटौती करने में विफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.26)

• ठेकेदार से बैंक गारंटी (बीजी)/कॉन्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारंटी (सीपीजी) की पूर्ण राशि प्राप्त करने एवं दोषी फर्म की बीजी/सीपीजी का नगदीकरण करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने में उपेक्षा के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित पक्ष के साथ–साथ योजना निधि को ₹ 95.91 करोड़ की क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.1.29)

वित्तीय प्रबंधन

• सब्सिडी की उपलब्धता होने पर भी आरईसी से डिस्कॉमों द्वारा ऋण का आहरण, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेत था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 129.22 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.1.32)

• डिस्कॉमों ने वैट एवं कार्य अनुबन्ध कर के संबंध में योजना निधि से ₹ 120.97 करोड़ का व्यय किया एवं आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से इस राशि का दावा, करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.35)

• डिस्कॉमों ने योजना के अन्तर्गत शामिल न किए गए प्रयोजनों के लिए अनियमित रूप से ₹ 10.63 करोड़ की योजना निधि का अपयोजन किया एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में या इसके विपरीत, ₹ 42.42 करोड़ का अपयोजन किया।

(प्रस्तर 2.1.37 और 2.1.38)

योजना का निष्पादन

• नमूने वाले 19 जिलों में, डिस्कॉम 41.21 लाख बीपीएल परिवारों को संयोजन देने के लक्ष्य के सापेक्ष 29.65 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने में विफल रहे।

(प्रस्तर 2.1.40)

• नमूने वाले 19 जिलों में, 31,69,925 ग्रामीण परिवारों (बीपीएल को छोड़कर) के विद्युतीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 19,48,218 ग्रामीण परिवार (61 प्रतिशत) विद्युतीकृत किए गए थे।

(प्रस्तर 2.1.41)

• नमूने वाले 19 जिलों में, बीपीएल उपभोक्ताओं के परिसर में 3,29,930 ऊर्जा मीटरों को ₹ 29.14 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया था, परन्तु मानव शक्ति की कमी के कारण इन उपभोक्ताओं की बिलिंग अभी भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बिना अस्थायी आधार पर की जा रही थी। इससे मीटर की स्थापना का उद्देश्य अपूर्ण रहा एवं मीटर की स्थापना पर किया गया व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

(प्रस्तर 2.1.42)

संस्तुतियों का सारांशः

• डिस्कॉमों को डीपीआर में केवल योग्य गाँवों/मजरों को सम्मिलित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

• डिस्कॉमों को योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और परियोजना नियोजन अर्थात डीपीआर की तैयारी में उचित सावधानी सुनिश्चित करना चाहिए।

- **कार्य प्रदान करते समय डिस्कॉम को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी चाहिए।**

- **विभाग, डिस्कॉम पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को प्रदान किये गये अनुचित लाभ की जांच सतर्कता के दृष्टिकोण से कर सकता है।**

- **डिस्कॉमों को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशा निर्देशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।**

- **डिस्कॉमों को सभी ग्रामीण परिवारों (बीपीएल परिवारों सहित) को विद्युत की उपलब्धता प्रदान करने के योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय–सीमा में परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।**

2.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (योजना) के भाग के रूप में, दिशानिर्देश जारी किए (जनवरी 2009) एवं राज्य के चयनित सात शहरों में एक कुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी सार्वजनिक परिवहन समाधान की स्थापना एवं रखरखाव के लिए 1,140 बसों के क्रय एवं संचालन हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा नामित (अप्रैल 2009) कार्यदायी संस्था (ईए), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को एक बारगी उपाय के रूप में ₹ 217.17 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान की। यूपीएसआरटीसी ने सात शहरों में बस सेवा के संचालन के लिए छः नगरीय यातायात कम्पनियों (यूटीसी) यथा आगरा–मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए–एमसीटीएसएल), इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एसीटीएसएल), कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल), लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल), मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एमसीटीएसएल) और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वीसीटीएसएल) का गठन (फरवरी 2010 से जुलाई 2010) किया।

(प्रस्तर 2.2.1)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

- उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय यातायात के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण एवं अनुश्रवण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के रूप में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन (जून 2010) किया। गठन के बाद से, यूएमटीए की केवल तीन बैठकें (जून 2010, अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012) ही आयोजित हुयीं। परिणामस्वरूप, नगरीय यातायात के लिए गठित यूटीसी अनिरीक्षित रहीं। इसके अतिरिक्त, नगरीय यातायात में सुधार के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय को उपलब्ध कराया गया ₹ 445.67 करोड़ का समर्पित नगरीय परिवहन कोष (डीयूटीएफ) अप्रयुक्त रहा।

(प्रस्तर 2.2.6 एवं 2.2.7)

- केसीटीएसएल ने वार्षिक वित्तीय विवरणों को नहीं तैयार किया। ए–एमसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (10 अप्रैल 2012) से 2015–16 तक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किये एवं एलसीटीएसएल ने केवल अपना पहला वित्तीय विवरण जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक बनाया। किसी भी यूटीसी ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया। लेखाओं का तैयार न होना/देरी

होना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

(प्रस्तर 2.2.11)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए नगरीय बसों के संचालन का अनुश्रवण करने में यूटीसी विफल रही। इसके अतिरिक्त, यूटीसी ने नगरीय बसों के संचालन के प्रभावी अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए नगरीय बस संचालन मानकों को तैयार नहीं किया अथवा यूपीएसआरटीसी के मानकों को नहीं अपनाया।

(प्रस्तर 2.2.14 एवं 2.2.15)

- ₹ 2.04 करोड़ के व्यय के बावजूद, यूटीसी की बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) स्थापित नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.2.17)

- उसी परिसर में कार्यशाला के बगल में अपने स्वयं के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के होने के बावजूद, एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल के प्रबंध निदेशकों एवं सेवा प्रबंधकों ने ठेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण अथवा मरम्मत के कार्य का निरीक्षण नहीं किया। इससे बसों का कैनिब्लाइजेशन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.22 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.18)

संस्तुतियों का सारांश

- **यूएमटीए को उचित पर्यवेक्षणीय नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और डीयूटीएफ के प्रभावी उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए।**

- **नगर विकास विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूटीसी अपने खातों को वर्तमान वर्ष तक तैयार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, जिससे इन पीएसयू के निदेशक कम्पनी अधिनियम के दोषी ना बनें रहें।**

- **यूटीसी को नगर की बसों के संचालन के आवधिक अनुश्रवण के लिए संचालन के अपने मानकों को तैयार करना चाहिए या यूपीएसआरटीसी के मानकों को अपनाना चाहिए।**

- **यूटीसी को प्रभावी अनुश्रवण के लिए सभी नगरीय बसों पर आईटीएस की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।**

- **यूटीसी को बसों के अनाधिकृत कैनिबलाइजेशन को रोकने हेतु बसवार/कार्यवार रखारखाव के काम का दैनिक अनुश्रवण तथा उसके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एमआईएस विकसित करना चाहिए।**

2.3 उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

अनुसरण लेखापरीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि यूपीपीसीएल द्वारा संस्तुतियों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया। अनियंत्रित रहीं सतत कमियां हैं: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन, 91.66 प्रतिशत

कार्य उप–ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराये गये, कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना एवं प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के बिना वास्तुविदों की नियुक्ति जारी रखी गयी; जीओयूपी के आदेशों की अवहेलना करते हुए ₹ 359.85 करोड़ के 434 कार्यों की सीजीएम से निम्न स्तर के अधिकारी यथा पीएम/जीएम द्वारा अनियमित तकनीकी स्वीकृति; उप–ठेकेदारों को ₹ 65.27 करोड़ के अग्रिम अनियमित रूप से अवमुक्त किया जाना; एवं वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने में विफलता।

अध्याय–3: संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों का सार नीचे दिया गया है:

- **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** ने शासनादेश के उल्लंघन में 20 भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 33.89 करोड़ का अवसंरचना अधिभार नहीं वसूला एवं इस प्रकार भूखण्डों के क्रेताओ को अनुचित लाभ विस्तारित किया।

(प्रस्तर 3.1)

- **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** ने बकाये की वसूली में ठेकेदार को अनुचित लाभ विस्तारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.25 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2)

- **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को प्रतिस्थापन योग्य मीटर बॉक्स अलग से क्रय करने की प्रणाली न होने के कारण ₹ 3.69 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.3)

- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** द्वारा लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर गलत तरीके से समायोजित बैंक की गयी ऊर्जा हेतु ₹ 3.63 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 3.4)

- **पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** द्वारा प्रदाय संहिता, 2005 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण एक उपभोक्ता को ₹ 1.28 करोड़ से कम प्रभारित किया गया।

(प्रस्तर 3.6)